


राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ. 1(6) (58) परि/स्था./75/21209

जयपुर, दिनांक : 02.09.2022

आदेश

श्री विनोद कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त अपने कार्य के साथ- साथ सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (MRTA) के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।



(कन्हैया लाल स्वामी)
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ. 1(6) (58) परि/स्था./75/21210-218

जयपुर, दिनांक : 02.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (मु0)।
5. श्री भंवरलाल, सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री विनोद कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
8. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव (मु0)